संख्या- 6/2018/ 364/ सत्रह-म-2018-6-9(333)/2016 टी0सी0-।।

प्रेषक,

डा0 सुधीर एम0 बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
मत्स्य निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिनांक 14 मार्च, 2018

विषय – भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016- 17 में नवीन योजना के रूप में स्वीकृत ब्लू रिवोल्यूशन:इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना (नीली क्रान्ति) के अन्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश रू0 1760.85 लाख के सापेक्ष अप्रयुक्त अवशेष केन्द्रांश को वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु पुनर्वेध किये जाने के फलस्वरूप चतुर्थ किश्त के रूप में धनराशि रू0 60.54938 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-145/नि0शा0, दिनांक 07 मार्च,2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,जिसके माध्यम से ब्लू रिवोल्यूशन:इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवमुक्त केद्रांश रू0 1760.85 लाख के सापेक्ष अप्रयुक्त अवशेष केन्द्रांश को चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार द्वारा पुनर्वैध किये जाने के दृष्टिगत प्रश्नगत योजना की कतिपय उपयोजनाओं/परियोजनाओं हेतु चतुर्थ किश्त के रूप में धनराशि रू0 60.54938 लाख (रू0 साठ लाख चौव्वन हजार नौ सौ अडतीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र संख्या- एफ0न0जे0-18001/1/2017-एफवाई दिनांक 15-05-2017 द्वारा ब्लू रिवोल्यूशन:इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 1760.85 लाख के सापेक्ष अप्रयुक्त अवशेष धनराशि को वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु पुनर्वैध कर दिया गया है।

3- अत: संयुक्त निदेशक मत्स्य द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुक्रम में ब्लू रिवोल्यूशन:इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 1760.85 लाख के सापेक्ष अप्रयुक्त अवशेष केन्द्रांश के वित्तीय वर्ष 2017-18 में पुनर्वैध किये जाने के फलस्वरूप ब्लू रिवोल्यूशन की निम्नलिखित उपयोजनाओं /मदों हेतु अवशेष केन्द्रांश रू0 90.36625 लाख के सापेक्ष चतुर्थ किश्त के रूप में धनराशि रू0 60.54938 लाख (रू0 साठ लाख चौव्वन हजार नौ सौ अडतीस मात्र), जिसमें रू0 40.36625 लाख केन्द्रांश एवं मैंचिंग राज्यांश रू0 20.18313 लाख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

सम्मिलित है, को श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन निम्न तालिकानुसार आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	परियोजना का नाम	लक्ष्य	परियोजना लागत	कुल बजट (केन्द्रांश 50 प्रति0 +राज्यांश 25 प्रति0)	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जा चुकी धनराशि (के0 50 प्रति0+ रा0 25 प्रति0)	कुल व्यय धनराशि	द्वितीय किश्त के रूप में लेखानुदान अवधि में अवमुक्त की जा चुकी धनराशि (के0 50 प्रति0+ रा0 25 प्रति0)	तृतीय किश्त के रूप में निर्गत की गयी धनराशि(के0 50 प्रति0+ रा0 25 प्रति0)	चतुर्थ किश्त के रूप में निर्गत की जा रही धनराशि	जनपदवार विवरण एवं संलग्नक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मत्स्य पालन हेतु इनपुट कास्ट	347 हे0	520.5	390.375	177.32	160.07474	68.46894	160.81132	**1.02**	मत्स्य निदेशालय के पत्र सं0-145/नि0शा0 दि0 07मार्च, 2018 द्वारा संलग्नक-1,2 व 3 के रूप में उपलब्ध कराये गये जनपदवार फांट के अनुसार
	1(ख) सुधारे गये तालाबों में निवेश	325 हे0	-	-	166.10	149.774740	64.46894	150.361320	**1.02**	
2	तालाब सुधार	325 हे0	1137.5	853.125	387.6	347.37798	491.00764	11.46000	**3.27938**	
3	सोलर पावर एक्वाकल्चर	09 संख्या	135.0	101.25	46	5.110000	0.000	39.89	**56.25**	
	कुल योग-								60.54938	

(रू0 साठ लाख चौव्वन हजार नौ सौ अडतीस मात्र)

(1) भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशन:इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के आदेश संख्या- 20/ 2016/ 2362/सत्रह-म-2016-6-9(333)/2016 दिनांक 24 दिसम्बर,2016 द्वारा निर्गत मार्ग-निर्देश /गाइड लाइन्स में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

(3) निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा तथा क्रय की जाने वाली सामग्री के सम्बंध में सामग्री/उपकरण क्रय विषयक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com

संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2017-18 में 31 मार्च,2018 के पूर्व ही प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करते हुए समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) धनराशि का आवंटन एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो,तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर जी जाय।

(6) शासकीय व्यय के सम्बंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृतियॉ जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना/ कार्यक्रम में इस मद में किसी अन्य योजना/ स्रोत से धनराशि प्राप्त नहीं हुई है ।

(8) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(9) जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धन का आहरण विद्धमान व्यवस्था के अनुसार तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय और एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।

(10) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित वितरण धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियत्रंण के सम्बंध में शासनादेश संख्या- बी0-1-1195/दस-16-94 दिनांक 06 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- मत्स्य निदेशालय के उक्त संदर्भित पत्र संख्या-145/नि0शा0, दिनांक 07 मार्च,2017 द्वारा अवगत करायी गयी वस्तुस्थिति/ विवरणानुसार तालाब सुधार तथा तालाब सुधार निवेश मद के अन्तर्गत तीन जनपदों- मुरादाबाद, शामली एवं भदोही के 01-01 लाभार्थी (कुल 03 लाभार्थी) के पक्ष में वर्ष 2016-17 में आवंटित प्रथम किश्त की धनराशि ट्रेजरी से तकनीकी फाल्ट के कारण लाभार्थियों के खाते में ट्रान्सफर नही हो सकी थी और यह धनराशि राजकीय कोष में पुन: वापस हो गयी है। अत: शासनादेश दिनांक 17 नवम्बर,2017 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में निर्गत धनराशि रू0 396.32957 की वित्तीय स्वीकृति में जनपद-मुरादाबाद, शामली एवं भदोही को तालाब सुधार तथा तालाब सुधार निवेश मद हेतु आवंटित धनराशि के व्यय करने से सम्बंधित लगाये गये प्रतिबन्ध को हटाया जाता है ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या- 17 के अधीन लेखाशीर्षक -2405- मछली पालन-101- अन्तर्देशीय मछली पालन -01- केन्द्र प्रयोजित योजनाएं -0102- ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज योजना (राज्यांश) 20-सहायता अनुदान –सामान्य (गैरेवेतन) मद के नामें डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी, 2017, कार्यालय ज्ञाप संख्या- 3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017 दिनांक 20.03.2017 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या- 8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017 में दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-6/2018/364(1)/ सत्रह-म-2018 तददिनांक-

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकादरी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- संयुक्त निदेशक मत्स्य, मत्स्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन लखनऊ।
5- सम्बधित कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।
6- वित्त एवं लेखाधिकारी,मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त (व्यय - नियत्रंण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियो0 अनुभाग-3 ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

http:// shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।